न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/229

1. सुगनचन्द पुत्र स्व0 घासीलाल जाति खाती निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी (राज0)।
2. मोहनलाल आत्मज स्व0 घासीलाल जाति खाती निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी (राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. भंवरलाल आत्मज स्वर्गीय सोभागबिहारी जाति जांगिड निवासी नमाना तहसील व जिला बून्दी(राज0)।
2. प्रमोद आत्मज स्वर्गीय सोभागबिहारी जाति जांगिड निवासी नमाना तहसील व जिला बून्दी(राज0)।
3. हेमकंवर पुत्री स्वर्गीय सोभागबिहारी पत्नी रमेशचन्द जाति जांगिड निवासी बावडी के पास, छत्रपुरा तहसील व जिला बून्दी(राज0)।
4. कुसुमलता पुत्री स्वर्गीय सोभागबिहारी पत्नी रमेशचन्द जाति जांगिड निवासी अशोक फेक्ट्री बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
5. अयोध्या विधवा स्वर्गीय सोभागबिहारी जाति जांगिड निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–(1). पंकज दाधीच– अधिवक्ता अपीलांट
(2). राजकुमार गोयल– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5

निर्णय

दिनांक 26.06.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 384/2016 मे पारित निर्णय/आदेश दिनांक 05.03.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 5 ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 604

रकबा 7 बिस्वा ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी मे स्थित है। प्रतिवादीगण अपीलांटगण उक्त भूमि के पश्चिम उत्तर की 5 बिस्वा भूमि पर जबरन व अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहते है, और निर्माण करना चाहते है। जिसकी प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण संख्या 1 व 2 को धमकियाँ देते रहते है। प्रतिवादीगण ने माह अक्टूबर सन् 2012 मे धमकी दी कि वे उक्त 5 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण करेंगे। प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरूद्ध अन्य भूमियों के बाबत इसी न्यायालय मे वाद किया हुआ है। इस कारण प्रतिवादीगण वादीगण से रंजिश रखते है। प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने का व निर्माण कराने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि वे उक्त भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें ओर न ही किसी अन्य से करावें। और न ही उक्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य करे। इसी प्रकार वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 1766/533 रकबा 1 बिस्वा ग्राम नमाना तहसील एवं जिला बून्दी मे स्थित है, जो इस समय रोड के पास की भूमि है। कभी यह भूमि कुएं की होगी। इस समय यह भूमि ही है। प्रतिवादीगण वादीगण से रंजिश रखते है। इसी कारण प्रतिवादीगण ने अभी माह अक्टूबर सन् 2012 उक्त भूमि के पूर्वी उत्तरी कोने की 20 फुट भूमि पर जबरन कब्जा कर आठ गुणा आठ की दो दुकानें निर्मित कर ली तथा चार फीट भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया और उक्त भूमि पर निर्मित दुकानों पर ऊपर भी जबरन निर्माण कार्य करवाने को तत्पर है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण को उक्त भूमि खसरा संख्या 1766/533 के पूर्वी उत्तरी कोने की 20 फीट भूमि दुकानों सहित से बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करें। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि वे उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1766/533 के पूर्वी उत्तरी कोने पर निर्मित अनाधिकृत दुकानों पर और उनके ऊपर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें और न ही ऐसा किसी अन्य से करावें।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 की ओर से जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादीगण की ओर से काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। दिनांक 05.03.2021 को प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से

5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश तथ्य विरूद्ध, साक्ष्य विरूद्ध एवं संबंधित विधि के पूर्णतया विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानने मे भूल की है कि पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत हो जाने के बाद प्रतिवादी का काउंटर क्लेम रिकॉर्ड पर लिये जाने योग्य नहीं है जबकि विधि अनुसार अपीलार्थी प्रतिवादी को काउंटर क्लेम प्रस्तुत करने का अधिकार है, क्योंकि उसके जवाबदावे मे भी काउंटर क्लेम के तथ्यों का उल्लेख किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट वादी द्वारा प्रस्तुत नजीरें आदि का उल्लेख तो आदेश मे कर दिया लेकिन अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत उच्चतम न्यायालय की नजीर पर न तो विचार किया और न ही आदेश मे उल्लेख किया है। अतः ऐसी स्थिति मे उक्त आदेश विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार ही नहीं किया गया है कि काउंटर क्लेम अस्वीकार कर देने पर अपीलांट प्रतिवादी के विधिक अधिकार के संबंध मे विधिक उपचार हेतु सभी रास्ते बन्द हो जाते है जो कि विधि के सिद्धान्त के विरूद्ध है। प्रकरण अभी साक्ष्य की स्टेज पर है जिसमे काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर सुनवाई करने मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण को कोई भी असुविधा नहीं है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काउंटर क्लेम खारिज करने मे विधि संबंधी भूल की है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2016(1) डब्ल्यु.एल.सी.(एस.सी.) प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया। साथ ही अपीलार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम को सुनवाई हेतु स्वीकार फरमाकर रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित आराजीयात गैर मुमकिन सिवायचक भूमि थी। विवादित भूमि संयुक्त परिवार के रूप मे अलॉट हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 24.01.2014 को ही जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका था। दावे व जवाबदावे के अनुसार पत्रावली मे दिनांक 04.05.2017 को तनकीयात विरचित की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली साक्ष्य मे विचाराधीन थी। पत्रावली के साक्ष्य मे विचाराधीन रहते हुए दिनांक 15.12.2020 को काउंटर क्लेम पेश किया है। जिरह के स्तर काउंटर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्रतिवादीगण अपीलांटगण की ओर से काउंटर क्लेम काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। अपीलांटगण का काउंटर क्लेम चलने योग्य नहीं है। पत्रावली के साक्ष्य मे विचाराधीन रहते हुए काउंटर क्लेम प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य की स्टेज पर काउंटर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना विधि सम्मत नहीं होना मानकर प्रतिवादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम

प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अपीलांट द्वारा प्रकरण में विलम्ब करने तथा न्यायालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2023(1) डी.एन.जे. (एस.सी.) 52 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2021 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की ।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन व मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय मे वाद दिनांक 19.10.2012 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया। दिनांक 07.01.2013 को अधीनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता प्रस्तुत हुए। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.01.2014 अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर दिया गया। इसके बाद लम्बे समय तक पत्रावली कायमी तनकीयात की स्टेज पर लम्बित रही। आदेशिका दिनांक 19.09.2016 अनुसार हस्तगत प्रकरण मे कुल 8 तनकीयात कायम की गई तथा दिनांक 19.09.2016 को पत्रावली साक्ष्य वादी मे नियत कर दी गई। आदेशिका दिनांक 04.05.2017 वादी की ओर से साक्ष्य मे शपथ–पत्र पेश किया गया तथा इसकी प्रति प्रतिवादी के अधिवक्ता को दी गई। दिनांक 02.12.2019 को वादी के गवाह उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी ने जिरह का अवसर चाहा। दिनांक 15.12.2020 को प्रतिवादीगण सुगनचंद, मोहनलाल की ओर से काउंटर क्लेम अन्तर्गत धारा 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया, जिस पर केवल प्रतिवादी सुगनचंद के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त काउंटर क्लेम मे घोषणा का अनुतोष भी चाहा गया है। सीपीसी आदेश 8 नियम 6(क) इस प्रकार है " प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा (1) वाद मे प्रतिवादी नियम 6 के अधीन मुजरा के अभिवचन के अपने अधिकार के अतिरिक्त वादी के दावे के विरूद्ध प्रतिदावे के रूप मे किसी ऐसे अधिकार या दावे कि, जो वादी के विरूद्ध प्रतिवादी को वाद फाइल किए जाने से पूर्व या पश्चात किंतु प्रतिवादी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा परिदत्त किये जाने के पूर्व या अपनी प्रतिरक्षा परिदत्त किए जाने के पूर्व, किसी वाद–हेतुक के बारे मे प्रोद्भूत हुआ हो, उठा सकेगा चाहे ऐसा प्रतिदावा नुकसानी के दावे के रूप मे हो या नहीं। परन्तु ऐसा प्रतिवादा न्यायालय की अधिकारिता की धन–सम्बन्धी सीमाओं से अधिक नहीं होगा। (2) ऐसा प्रतिदावे का प्रभाव प्रतीपवाद के प्रभाव के समान ही होगा जिससे न्यायालय एक ही वाद मे मूलवाद मे मूल दावे और प्रतिदावे दोने के संबंध मे अंतिम निर्णय सुनाने के लिए समर्थ हो जाए।(3) वादी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह प्रतिदावे के उत्तर मे लिखित कथन ऐसी अवधि के भीतर जो न्यायालय द्वारा नियत की जाए, फाइल करे। प्रतिदावे को वादपत्र के रूप मे माना जाएगा और उसे वही नियम लागू होंगे जो वाद–पत्र को लागू होते है।" अधिवक्ता अपीलांट ने इस संबंध

मे न्यायिक दृष्टांत 2016(1) डब्ल्यु.एल.सी.(सुप्रीम कोर्ट) सिविल पेज 634 प्रस्तुत किया है, जिसमे उदधृत किया है कि, " सिविल प्रकिया संहिता, आदेश 8, नियम 6–क–प्रतिदावा–स्वीकार्यता–विवाद्यको की रचना 18.10.1993 को हो चुकी–प्रतिदावा 17.06.1996 को प्रस्तुत–उच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रतिदावा विधितः स्वीकार्य नहीं था–औचित्य–प्रतिदावे के लिए वादहेतुक प्रतिवादियों को लिखित कथन की प्रस्तुति से पूर्व दिनांक 11.11.1992 को उद्भुत हुआ और वादी की साक्ष्य का अभिलेख किया जा रहा था–प्रतिदावे को स्वीकार कर लेने से वादी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा–उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया तथा विचारण न्यायालय का आदेश प्रत्यावर्तित किया गया।" अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक दृष्टांत 2023(1) डी.एन.जे. (एस.सी.) 52 प्रस्तुत किया है, जिसमे उदधृत किया है कि " सिविल प्रकिया संहिता,1908–आदेश 8, नियम 6ए–मुकाबिल दावा–देरी से पेश किये मुकाबिल दावा को उच्च न्यायालय ने 02.05.2019 को रेकॉर्ड पर लिया–खण्ड पीठ ने आदेश अपास्त किया– 16.11.2005 को जवाबदावा पेश किया और मुकाबिल दावा 07.09.2018 को पेश किया–खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2021 के विरूद्ध अपील–07.09.2018 तक तनकीयॉ विरचित नहीं हुई और वे दिनांक 05.12.2018 को विरचित की–कार्यवाहीयों की बहुलता को टालने हेतु मुकाबिल दावा रेकॉर्ड पर लिया–देरी से पेश किये मुकाबिल दावा का वर्जन नहीं किन्तु तनकीयात के पूर्व का होना चाहिये–निर्णीत, खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश अपास्त कियाा।" हमारे मत में हर प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां अलग–अलग होती है माननीय उच्चतर न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांत उसी परिप्रेक्ष्य मे देखे जाते है। हस्तगत प्रकरण सन् 2012 मे अधीनस्थ न्यायालय मे संस्थित किया गया। दिनांक 24.01.2014 को अपीलांट प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया था। दिनांक 19.09.2016 को दावे व जवाबदावे के आधार पर 8 तनकीयात विरचित की गई। जवाबदावे के लगभग 6 वर्ष पश्चात काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 19.09.2016 प्रकरण मे विवाद्यक बिन्दुओं के विरचित होने के लगभग 4 वर्ष से अधिक समय बाद काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण मे वादी की ओर से शपथ–पत्र प्रस्तुत हो चुका था तथा प्रकरण जिरह प्रतिवादी हेतु चल रहा था। प्रतिवादीगण अपीलांट को अपनी डिफेंस का पर्याप्त समय दिया गया था। परन्तु विवाद्यक बिन्दु के लगभग 4 वर्ष पश्चात, जब प्रकरण जिरह मे नियत था तो, ऐसे समय पर काउंटर क्लेम प्रस्तुत करना उचित नहीं है। हस्तगत प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य प्रारम्भ से ही प्रतिवादीगण के संज्ञान मे थे, ऐसा कोई नवीन ठोस तथ्य नहीं है जो वाद मे प्रतिवादीगण के संज्ञान मे नहीं आया हो। क्योंकि इस प्रकार यह एक बहुत लम्बी प्रकिया होगी तथा विवाद्यको की भी पुनः रचना करनी पड़ेगी। काउंटर क्लेम के समर्थन मे कोई ठोस दस्तावेज भी हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए है। वाद में विलम्ब करने के उद्देश्य से काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। विवाद्यक विरचित होने के तथा वादी द्वारा साक्ष्य में शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के लम्बे समय पश्चात् काउंटर क्लेम प्रस्तुत करना विधि अनुसार उचित नहीं है। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से सहमत है। अपीलांट प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, ऐसी स्थिति मे हस्तगत प्रकरण मे विवाद्यक बिन्दुओ

की रचना के लगभग 4 वर्ष पश्चात् जब, प्रकरण वर्तमान मे जिरह मे नियत था, ऐसी स्थिति मे काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाना उचित नहीं था। हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 05.03.2021 से सहमत है तथा इसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी के प्रकरण संख्या 384/2016 मे पारित निर्णय/आदेश दिनांक 05.03.2021 यथावत रखा जाता है।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा